>

Title: Reaction of the Ministry of Home Affairs on the request for withdrawal of Armed Forces Special Power Act (AFSPA) in Jammu & Kashmir.

**श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा):** आदरणीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रालय का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहती हूं। जम्मू-कश्मीर 1947 में आजाद हुआ, तब से वहां आज तक शांति नहीं है। 1947 से आज तक कितनी ही लड़ाईयां भारत-पाकिस्तान के बीच हुई। कश्मीर के बारे में लड़ाईयां लड़ी गई। सीमा पार से आतंक और भय का वातावरण आज तक कायम है। जम्मू-कश्मीर के मुख्य मंत्री सार्वजनिक रूप से बार-बार बोल रहे थे तथा आफसपा कानून हटाने की बात कर रहे थे। थल सेना प्रमुख जनरल विजय कुमार सिंह ने जम्मू-कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम हटाने को लेकर सरकार को अपनी राय दे दी है। उस मसले पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करना है। क्योंकि, आतंकवादी प्रवृत्ति पर जो थोड़ा-बहुत कमांड है, वह भी छूट जायेगा और आतंकवादी गतिविधियों को हवा मिलेगी, जो हमारे लिए खतरे की घंटी के समान है।

मैं सरकार से जानना चाहूंगी कि इस पर थल सेना प्रमुख की राय क्या है और उस पर गृह मंत्रालय की प्रतिक्रिया क्या है? धन्यवाद।